



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 29 मार्च, 1975

चत्र 8, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1284/सप्रह-वि-1-128-74

लखनऊ, 29 मार्च, 1975

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भूमि-हीन कृषि-श्रमिक ऋण अनुतोष विधेयक, 1974 पर दिनांक 26 मार्च, 1975 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भूमि-हीन कृषि-श्रमिक ऋण अनुतोष अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1975)

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ।]

भूमि-हीन कृषि-श्रमिकों को ऋण प्रस्तता से अनुतोष का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छःजीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि-श्रमिक ऋण अनुतोष अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2—इस अधिनियम की किसी बात का प्रभाव निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत आने वाले किसी अनुसूचित ऋणी के ऋणों तथा अन्य दायित्वों पर नहीं पड़ेगा, अर्थात् :—

- (क) ऐसे ऋणी को किराये पर दी गई किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय कोई किराया;
- (ख) रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा साक्षित कोई संव्यवहार या हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बन्धक का कोई संव्यवहार;
- (ग) न्यास-भंग से उद्भूत कोई दायित्व अथवा कोई अपकृत्य सम्बन्धी दायित्व;
- (घ) की गई सेवाओं के लिये वेतन के रूप में या अन्यथा देय मजदूरी अथवा पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कोई दायित्व;

संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा
प्रारम्भ

कतिपय ऋणों
तथा दायित्वों पर
प्रभाव न पड़ना

(ड) भरण-पोषण के सम्बन्ध में कोई दायित्व, चाहे वह न्यायालय की डिक्की के अधीन हो अथवा अन्यथा;

(च) निम्नलिखित को देय कोई ऋण:--

(1) केन्द्रीय सरकार अथवा कोई राज्य सरकार;

(2) कोई स्थानीय प्राधिकारी;

(3) उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 में यथा-परिभाषित कोई बैंकिंग कम्पनी;

(4) उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 में यथा-परिभाषित कोई निगम;

(5) कोई सहकारी समिति;

(6) कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अन्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी;

(छ) कोई ऋण जो ऐसे ऋणी द्वारा ऋय किये गये माल की कीमत के बारे में हो;

(ज) सम्पत्ति के विभाजन या बंटवारे के कारण देय कोई प्रतिकर, अथवा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 29-क में निदिष्ट कोई प्रतिकर;

(झ) भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकने वाली कोई धनराशि।

परिभाषाएं

3--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(1) "सिविल न्यायालय" के अन्तर्गत--

(क) प्राविशियल इन्सालवेन्सी ऐक्ट, 1920 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय;

(ख) यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, 1947 के अधीन स्थापित कोई न्याय पंचायत;

(ग) प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय;

भी है;

(2) "सहकारी समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई या रजिस्ट्रीकृत-समझी गई किसी समिति से है;

(3) "ऋण" का तात्पर्य नकद अथवा वस्तु के रूप में किसी अधिदाय से है, चाहे उसके लिये बिक्री हुई हो अथवा नहीं और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा संव्यवहार भी है जो सार रूप में ऋण हो;

(4) "भूमि-हीन कृषि-श्रमिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि-श्रम या खेती हो और जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व या तो कोई भूमि न हो या उत्तर प्रदेश में भूमिधर, सीरदार, असामी या सरकारी पट्टेदार के रूप में 0.40468564 हेक्टर (एक एकड़) से अनधिक भूमि हो;

(5) "अनुसूचित ऋणी" का तात्पर्य साधारणतया उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है जो भूमि-हीन कृषि-श्रमिक हो।

इस अधिनियम
के प्रारम्भ होने
के परिणाम

4--तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा किसी ऐसी संविदा या अन्य लिखत में जो ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभावी हो, किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम में अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से, एतद्वशात् दिये गये परिणाम होंगे, अर्थात्--

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व लेनदार को अनुसूचित ऋणी द्वारा देय प्रत्येक ऋण जिसके अन्तर्गत ब्याज, यदि कोई हो, की धनराशि भी है, पूर्णतया उन्मोचित समझा जायगा;

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व अनुसूचित ऋणी द्वारा देय कोई भी ऋण उससे अथवा उसकी किसी भी जंगम अथवा स्थावर सम्पत्ति से अथवा जंगम या स्थावर सम्पत्ति के प्रति, वसूल न किया जा सकेगा, और उसके विरुद्ध ऐसे ऋण से सम्बन्धित किसी डिक्की या आदेश के निष्पादन में कोई ऐसी सम्पत्ति न तो कुर्क की जा सकेगी, न बेची जा सकेगी और न उसके विरुद्ध किसी अन्य रीति से कार्यवाही की जा सकेगी;

(ग) कोई भी सिविल न्यायालय ऋण की किसी भी धनराशि की जिसके अन्तर्गत, ब्याज, यदि कोई हो, भी है, वसूली के लिए किसी अनुसूचित ऋणी के विरुद्ध कोई वाद अथवा कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा;

परन्तु जहां कि किसी अनुसूचित ऋणी तथा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद अथवा कार्यवाही संयुक्त रूप से संस्थित की जाय वहां इस खण्ड की कोई बात, वाद लाये जाने अथवा

कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में वहाँ तक जहाँ तक कि उसका सम्बन्ध ऐसे अन्य व्यक्ति से है, लागू न होगी ;

(घ) किसी अनुसूचित ऋणी के विरुद्ध किसी ऋण की वसूली के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को लम्बित समस्त वाद तथा कार्यवाहियाँ (जिसके अन्तर्गत अपीलें, पुनरीक्षण, कुर्सी अथवा निष्पादन की कार्यवाहियाँ भी हैं) उपशमित हो जायेंगी :

परन्तु इस खण्ड की कोई बात,—

(1) किसी ऐसी जंगम सम्पत्ति की बिक्री पर जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व हुई हो और पूरी हुई हो ;

(2) किसी ऐसी स्थावर सम्पत्ति की बिक्री पर जिसे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व पृष्ट कर दिया गया हो,

लागू न होगी।

(ङ) प्रत्येक अनुसूचित ऋणी जो किसी ऋण के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय द्वारा घन के लिए उसके विरुद्ध पारित की गई किसी डिक्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध हो, छोड़ दिया जायेगा ;

(च) किसी अनुसूचित ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई प्रत्येक जंगम सम्पत्ति, ऐसे ऋणी के पक्ष में निर्मुक्त हो जायगी, और लेनदार उसे तुरन्त वापस करने के लिए बाध्य होगा।

स्पष्टीकरण:—इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अनुसूचित ऋणी ऋण के किसी ऐसे भाग को जिसका उसने पहले ही भुगतान कर दिया हो, या जो उससे वसूल किया गया हो, वापस पाने का हकदार होगा :

5—कोई भी खंडि या परस्पर और कोई भी करार (चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किया गया हो या इसके पश्चात् किया जाय) जिसके अधीन अथवा जिसके कारण किसी अनुसूचित ऋणी या उसके आधिन अथवा उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य से लेनदार के लिए श्रमिक के रूप में या अन्यथा कार्य करना अपेक्षित हो, शून्य होगा।

6—(1) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन-जातियाँ तथा विमुक्त जातियाँ ऋण अनुतोष अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इसके उपबन्धों के अधीन अथवा आधार पर किया गया या करने से रह गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके आधार पर किया गया या करने से रह गया समझा जायगा मानों यह अधिनियम, जहाँ तक इसका सम्बन्ध अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों के भूमि-हीन कृषि-श्रमिकों से है, 1 अक्टूबर, 1974 को प्रारम्भ हुआ हो।

ऋण के बदले में धर्म कार्य सम्बन्धी करार का शून्य होना

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18, 1974 का निरसन

**THE UTTAR PRADESH LANDLESS AGRICULTURAL LABOURERS
DEBT RELIEF ACT, 1975**

[UTTAR PRADESH ACT NO. 12 OF 1975]

(*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Bhumihiin Krishi Shramik
Rin Anutosh Adhiniyam, 1975)

**AN
ACT**

to provide for relief from indebtedness to landless agricultural labourers

It is HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India
as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Landless Agricultural Short title, extent
Labourers Debt Relief Act, 1975. and commencement.

*(For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated December 28, 1974).

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 30, 1974 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on February 27, 1975.)

[Received the assent of the president on March 26, 1975, under Article 201 of the Constitution of India and published in the *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated March 29, 1975].

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

Certain debts and liabilities not to be affected.

2. Nothing in this Act shall affect the debts and other liabilities of any scheduled debtor falling under the following heads, namely,—

(a) any rent due in respect of any property let out to such debtor ;

(b) any transaction evidenced by a registered document or a transaction of mortgage by deposit of title deeds ;

(c) any liability arising out of breach of trust or any tortious liability ;

(d) any liability in respect of wages or remuneration due as salary or otherwise for services rendered ;

(e) any liability in respect of maintenance, whether under a decree of court or otherwise ;

(f) a debt due to—

(i) the Central Government or any State Government ;

(ii) any local authority ;

(iii) any banking company as defined in the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972 ;

(iv) any corporation as defined in the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972 ;

(v) any co-operative society ;

(vi) any Government company within the meaning of the Companies Act, 1956 ;

(g) any debt which represents the price of goods purchased by such debtor ;

(h) any compensation payable on account of partition or division of property, or any compensation referred to in section 29-A of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953 ;

(i) any sum recoverable as arrears of land revenue.

Definitions.

3. In this Act, unless the context otherwise requires—

(i) "civil court" includes—

(a) any court exercising jurisdiction under the Provincial Insolvency Act, 1920 ;

(b) a Nyaya Panchayat established under the U. P. Panchayat Raj Act, 1947 ;

(c) a court exercising powers under the Provincial Small Causes Courts Act, 1887 ;

(ii) "co-operative society" means a society registered or deemed to be registered under the provisions of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 ;

(iii) "debt" means an advance in cash or kind, whether decreed or not, and includes any transaction which is in substance a debt ;

(iv) "landless agricultural labourer" means a person whose main source of livelihood is agricultural labour or cultivation and who, immediately before the commencement of this Act, either held no land or holds land not exceeding 0.40468564 hectares (one acre) in Uttar Pradesh as a *bhumidhar*, *sirdar*, *asami* or Government lessee ;

(v) "scheduled debtor" means a person ordinarily residing in Uttar Pradesh who is a landless agricultural labourer.

Consequences of commencement of this Act.

4. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any contract or other instrument having force by virtue of any such law, and save as otherwise expressly provided in this Act, the

consequences as hereinafter set forth shall, with effect from the date of commencement of this Act, ensue, namely :—

(a) every debt advanced before the commencement of this Act, including the amount of interest, if any, payable by a scheduled debtor to a creditor shall be deemed to be wholly discharged ;

(b) no such debt due from the scheduled debtor immediately before the commencement of this Act shall be recoverable from him or from or against any movable or immovable property, belonging to him, nor shall any such property be liable to be attached and sold or proceeded against in any manner in the execution of any decree or order relating to such debt against him ;

(c) no civil court shall entertain any suit or proceeding against a scheduled debtor for the recovery of any amount of such debt, including interest, if any :

Provided that where a suit or proceeding is instituted jointly against a scheduled debtor or any other person, nothing in this clause shall apply to the maintainability of a suit or proceeding in so far as it relates to such other person ;

(d) all suits and proceedings (including appeals, revisions, attachment or execution proceedings) pending on the date of commencement of this Act for the recovery of any such debt against a scheduled debtor shall abate :

Provided that nothing in this clause shall apply to the sale of—

(i) any movable property, held and concluded before the commencement of this Act ;

(ii) any immovable property, confirmed before such commencement ;

(e) every scheduled debtor undergoing detention in a civil prison in execution of any decree for money passed against him by a civil court in respect of any such debt shall be released ;

(f) every movable property pledged by a scheduled debtor shall, stand released in favour of such debtor, and the creditor shall be bound to return the same to the debtor forthwith.

Explanation—Nothing in this section shall be construed to entitle any scheduled debtor to the refund of any part of a debt already repaid by him or recovered from him before the commencement of this Act.

5. Any custom or tradition and any agreement (whether entered into before or after the commencement of this Act), whereunder or by virtue of which a scheduled debtor or any of his dependants or any member of his family is required to work as labourer or otherwise for the creditor shall be void. Agreement for labour in lieu of debt to become void.

6. (1) The Uttar Pradesh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Denotified Tribes Debt Relief Ordinance, 1974, is hereby repealed. Repeal of U. P. Ordinance No. 18 of 1974.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or omitted to be done under or by virtue of its provisions shall be deemed to have been done or omitted to be done under or by virtue of this Act, as if this Act in so far as it relates to landless agricultural labourers belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Denotified Tribes had commenced on October 1, 1974.